260

COURT FEE INDIA 20 रु. बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

Rs. 5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग - 3131 - II - 16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

S. K. Vajpai Advocate 14/9/2016

14-9-16

राकेश कुमार गुप्ता पिता दशरथ प्रसाद गुप्ता

निवासी–ग्राम फुनगा, तहसील व जिला–अनूपपुर म.प्र.

विरूद्ध

उर्मिला गुप्ता पिता रामकृपाल गुप्ता

निवासी–ग्राम फुनगा तहसील व जिला–अनूपपुर म.प्र.

अपर कलेक्टर जिला–अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/निगरानी/2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 29/07/2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करता है–

संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, इस प्रकरण से संबंधित भूमि सर्वे क्रमांक 441/1 स्थित ग्राम फुनगा तहसील व जिला–अनूपपुर का भूमि स्वामी प्रेमलाल पुत्र बैसाहू केवट था उक्त भूमि में से भूमि स्वामी प्रेमलाल ने आवेदक के हित में दिनांक 02/02/2010 को निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा 25x90 वर्ग फुट अर्थात 209.26 वर्ग मीटर का भूखण्ड विक्रय कर दिया था एवं उसका आधिपत्य आवेदक को सौंप दिया था पंजीकृत विक्रय पत्र में विक्रय किये गये भूखण्ड की चारों सीमायें स्पष्टतः प्रदर्शित की गयी थी.

14-9-2016

2. यह कि, अनावेदक ने तहसील न्यायालय में भूमि सर्वे क्रमांक 441/1 में से 1.20 एकड़ भूमि प्रेमलाल से क्रय करना दर्शाते हुये क्रय किये गये भाग का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण क्रमांक 100/2007–08 में कार्यवाही की जाना दर्शाते हुये दिनांक 25/10/2010 को नामांतरण की पुष्टि का आदेश किया गया.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3131-दो/2016 जिला अनूपपुर

राकेश विरूद्ध उर्मिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 25/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29-07-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 12.3.19 सदस्य	